शिक्षा संरक्षण

अक्षमताएं:

- **अमेरिकी विकलांगता अधिनियम (ADA) का शीर्षक II - 42 U.S.C. § 12132** - यह सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा विकलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, चाहे उन्हें फ़ेडरल वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही हों या नहीं।
- **पुनर्वास अधिनियम, 1973 की धारा 504 – 29 U.S.C. § 794(a)** - यदि कोई छात्र विकलांग है, तो केवल उसकी विकलांगता के आधार पर उसे ऐसे किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि में भागीदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसे फ़ेडरल वित्तीय सहायता प्राप्त हो औरउसे न तो उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है और न ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जा सकता है। ”
- **विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा अधिनियम (IDEA), 2004** - पात्र दिव्यांग बच्चों को नि:शुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि उन्हें विशेष शिक्षा व उससे संबंधित सेवाएं प्राप्त हों।

लिंग:

- **1972 के शिक्षा संशोधन का शीर्षक IX - 20 U.S.C. § 1681(a)** -लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है: “किसी भी व्यक्ति के साथ... लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे फ़ेडरल से वित्तीय सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम या गतिविधि में भागीदारी से रोका नहीं जा सकता, न ही उसे लाभ प्राप्त करने से वंचित किया जा सकता है।”
- **PHRA शीर्षक 16 Pa. Code §41.206** - पेंसिल्वेनिया मानव संबंध आयोग के (PHRC) द्वारा PHRA के तहत बनाए गए विनियमों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि "लिंग" के संरक्षित वर्ग की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल हैं:गर्भावस्था की स्थिति, प्रसव की स्थिति, स्तनपान की स्थिति, जन्म के समय निर्धारित लिंग, लिंग की पहचान या उसकी अभिव्यक्ति, भावनात्मक या यौन अभिविन्यास, व लैंगिक विकास में अंतर्गत **(प्रभावी: 16 अगस्त, 2023)**

जाति:

- **नागरिक अधिकार अधिनियम 1964-42 का शीर्षक VI U.S.C. § 2000d** - सभी कार्यक्रमों या गतिविधियां जिन्हें फ़ेडरल वित्तीय सहायता प्राप्त होती हैं, उनमें जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव पर रोक लगता है।

अपने नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें:

Harrisburg
333 Market St. 8th Floor
Harrisburg, PA 17101
717-787-9780
717-787-7279 (TTY)

Filadelfia
110 N. 8th St. Suite 501
Filadelfia, PA 19107
215-560-2496
215-560-3599 (TTY)

Pittsburgh
301 5th Ave. Suite 390
Piatt Place, Pittsburgh, PA 15222
412-565-5395
412-565-5711 (TTY)

phrc@pa.gov

www.pag.gov/agencies/PHRC

हमें फॉलो करें:

PHRC शिक्षा संभाग

Pennsylvania
Human Relations Commission

छात्रों के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण

छात्रों के अधिकार

सभी छात्रों को गैरकानूनी भेदभाव से मुक्त शैक्षिक वातावरण प्राप्त करने का अधिकार है।

पेंसिल्वेनिया में संरक्षित वर्ग में शामिल हैं, **जाति, रंग, लिंग, धार्मिक संप्रदाय, वंश (एन्सेस्ट्री), राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, मार्गदर्शक या सहायक पशु का उपयोग, सहायक या मार्गदर्शक पशुओं को प्रशिक्षित करना या उनकी देखरेख करना या प्रतिशोध।**

पेंसिल्वेनिया मानव संबंध अधिनियम (PHRA) के तहत रोज़गार, आवास, व्यावसायिक संपत्ति, शिक्षा तथा सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है।

पेंसिल्वेनिया निष्पक्ष शैक्षिक अवसर अधिनियम (PFEOA) विशिष्ट तौर पर उच्चतर शिक्षा तथा द्वितीयक व्यावसायिक और ट्रेड स्कूलों से संबंधित है।

PHRA और PFEOA शिक्षा प्रावधानों परअभ्यास के लिए मुख्य बिंदु

- **PHRA के तहत संरक्षित नहीं:** आयु, पारिवारिक स्थिति, GED या वे छात्र जो "विशिष्ट रूप से निजी स्कूलों" में पढ़ते हैं।
- **PFEOA के तहत संरक्षित नहीं:** आयु, पारिवारिक स्थिति, या GED.
- फ़ेडरल पारिवारिक शैक्षणिक अधिकार और गोपनीयता अधिनियम (FERPA), PHRC को रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए समन जारी करने की अनुमति देता है।
- PFEOA के तहत, "धार्मिक या सांप्रदायिक शैक्षणिक संस्थान" आयोग को लिखित रूप में यह प्रमाणित कर सकते हैं कि वे धार्मिक सांप्रदायिक शैक्षणिक संस्थान हैं — फिर भी वे PFEOA के अधीन हैं। § 3(2) देखें।

बार-बार उठने वाले मुद्दे

(यह संपूर्ण सूची नहीं है)

असमान व्यवहार बनाम प्रतिकूल (असमान) प्रभाव

- असमान व्यवहार: **इरादतन** किसी संरक्षित वर्ग के खिलाफ किया गया भेदभाव
  - केन्द्र बिंदु:इरादा और उद्देश्य
  - कानूनी मानक: पक्षपात को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य।
- प्रतिकूल प्रभाव: अंततः भेदभाव की वजह बनने वाली कोई तटस्थ नीति/अभ्यास (**ज़रूरी नहीं कि इरादतन हो**)
  - केन्द्र बिंदु: प्रभाव या परिणाम
  - कानूनी मानक: वैध औचित्य के बिना सांख्यिकीय असमानता

उपयुक्त सुविधा प्रदान करने में असफलता

विकलांग छात्रों को समान पहुँच या भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं, या परिवेश को समायोजित करने में अस्वीकार

- विकलांग छात्र:
- सच्ची धार्मिक आस्था रखने वाले छात्र।

प्रतिशोध

भेदभाव की शिकायत करने, किसी तहक़ीक़ात में भाग लेने, या नागरिक अधिकार कानूनों के तहत अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए किसी छात्र, अभिभावक या स्टाफ सदस्य को नुकसान पहुँचाना।

धमकाना/उत्पीड़न

यदि किसी छात्र को पक्षपात सम्बन्धी टिप्पणियों, इमेज या ग्राफिक्स के ज़रिए मौखिक रूप से या लिखित रूप में, आमने-सामने या इंटरनेट पर शिकार बनाया जाता है जो उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे ही स्कूल को ऐसी घटना की जानकारी मिलती है, उसे इसकी जांच करनी चाहिए, इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, इसे बार-बार होने से रोकना चाहिए और इसके दुष्प्रभावों का निवारण करना चाहिए।

सार्वजनिक विचारणीय

US. के संविधान का पहला संशोधन

- छात्रों को स्कूल में स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का अधिकार है,लेकिन यह अधिकार तब सीमित किया जा सकता है, जब उनकी अभिव्यक्ति:
  - Disrupts learning
  - गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देती है
  - अश्लील, अभद्र या आपत्तिजनक होती है
  - स्कूल द्वारा प्रायोजित की जाने वाली गतिविधियों से टकराती है

संरक्षित छात्र की अभिव्यक्ति

- ✅ राजनीतिक अभिव्यक्ति (यदि विध्वंसक नहीं है)
- ✅ धार्मिक अभिव्यक्ति – यदि यह न तो बाधा डालती है और न ही स्कूल द्वारा समर्थित लगती है।

असंरक्षित छात्र की अभिव्यक्ति

- ❌ अश्लील या अभद्र भाषा
- ❌ अशांति पैदा करने वाली अभिव्यक्ति (जैसे झगड़े या ऐसे वॉकआउट जो पढ़ाई को रोक दें)
- ❌ अवैध कृत्यों को बढ़ावा देने वाली अभिव्यक्ति (जैसे नशा करना या हिंसा)
- ❌ घृणा फैलाने वाली बातें या धमकाना (उत्पीड़न-निरोधक नीतियों और नागरिक अधिकार कानूनों का उल्लंघन कर सकता है)